

फर्ट अहकाम

11

(नियम 15)

अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

गिराज बनाम प्यारेलाल

मुकदमा

दावा

नं.

३०

सन 200 9

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

7/8 वकील वादी ने सुरेश चंद्र शर्मा
दावा प्यार 33.188 4 5 रिगि
के अर्थ पेश किया गया है रिपोर्ट
अपलोड किया गया। दावा दर्ज कर
कर जिला जज को सम्मन जारी
होकर दिनांक 24/8/09 को पेश हो

इ. जिला मजिस्ट्रेट
टोडाभीम (करौली)

24/8/09 को पेश हुआ। दावा अदालत कार्य
स्थान रहा गया। गानुअप 130 9/9/09 को
पेश हो

इ. जिला मजिस्ट्रेट
टोडाभीम (करौली)

7/9

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। कार्यवाही
नं. 3 उपस्थित तथा नं. 1 को अर्थ से अर्जित
विन्दव एड. अर्थ अर्जित नाथा पेश किया गया। कार्यवाही
नं. 2, 6, 8, 10 को अर्थ से वास्तु अर्जित
कोई आस्थान नहीं उनके विरुद्ध एक पत्रावली
कार्यवाही अर्जित में लाई जाती है। अर्थ को अर्जित
रिपोर्ट अर्थ नहीं हुई। अर्जित वास्तु कार्यवाही नं.
4, 5, 7, 9 दि. 23/9/09 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
27.8.15	वकूलाय उप०/ गतानुसृत वास्ति तलमकी व आवाज दि० 29.9.15 को पेश हो।
28.9.15	वकूलाय उप०/ गतानुसृत दि० 15.10.15 को पेश हो।
15.10.15	वकूलाय उप०। वादी वकील के सुपान वलवाय पेश वीषे रजिस्ट्री रिफिल पेश होमेचु जारी हो। वास्ति तलमकी दि० 17.11.15 को पेश हो।
28.9.20 16.10.15	17.11.15 वकूलाय उप०/ रजि० AD की रसीद वापिस काइलाफील जाख नही डुई। वादी वकील रजिस्ट्री मित्रचने की पोस्ट आफिस रसीद पेश कर। काइगिरा दिनांक 11.12.15 को पेश हो।
11.12	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन त्रा गया है। गतानुसार दिनांक... 17-12-15 को पेश हो।
17.12 15	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप० नही। कई बार आवाज दिलाई गयी। फिर भी उपास्थित नही। इसलिए पत्रावली अदम पैरकी अदम दायरी में रजिस्ट्रिज की जाती है। फौसल शुभार होकर नम्बर से काम कर दाखिल वफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम